



UPMZ010007042008

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 04 /

विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट), मुजफ्फरनगर

पीठासीन अधिकारी- (SMT. REKHA SINGH), (उच्चतर न्यायिक सेवा) - UP06490

वाद संख्या-577

सन्

2008

सरकार ----- अभियोजन पक्ष।

बनाम

मौ. सैयद अकरम पुत्र इकरमुल खान, निवासी खरीदयान, कस्बा जल्लाबाद, थाना भवन, जिला मुजफ्फरनगर।

अभियुक्त।

मुकदमा अपराध संख्या-205 / 2008,
अन्तर्गत धारा-135 विद्युत अधिनियम
थाना-भवन, जिला मुजफ्फरनगर।

21.08.2026

पत्रावली पेश हुई। उक्त वाद में अभियुक्त मौ. सैयद अकरम पुत्र इकरमुल खान की मृत्यु आख्या प्राप्त हुई। हैड कां. 449 संजय पाल का बयान अंकित किया गया। मृत्यु आख्या की पुष्टि की गयी।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत सत्र परीक्षण में अभियुक्त मौ. सैयद अकरम पुत्र इकरमुल खान, निवासी खरीदयान, कस्बा जल्लाबाद, थाना भवन, जिला मुजफ्फरनगर की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरुद्ध मामले की कार्यवाही उपशमित की जाती है। चूंकि उक्त वाद में अभियुक्त मौ. सैयद अकरम के अतिरिक्त अन्य कोई अभियुक्त नहीं है, इसलिये प्रस्तुत वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक: 21.08.2026

(श्रीमती रेखा सिंह),
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं० 04 /
विशेष न्यायाधीश(ई.सी.एक्ट)
मुजफ्फरनगर।
(उच्चतर न्यायिक सेवा) 06490